इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 347] भोपाल, बुधवार, दिनांक 25 अगस्त 2021—भाद्र 3, शक 1943

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2021

क्र. 2353-2008-2020-पचास-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश बाल संरक्षण नीति, 2020, जो भारत के संविधान, विभिन्न बाल केन्द्रित घरेलू कानूनों, भारत सरकार द्वारा अंगीकृत अंतर्राष्ट्रीय संधियों और मानकों के तहत प्रदान किये गए सुरक्षा उपायों की नींव पर आधारित है, को मध्यप्रदेश राज्य के लिए प्रभावशील घोषित/अंगीकृत करता है. यह बाल संरक्षण नीति तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि इस नीति को निरसित या संशोधित न कर दिया जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जगदीश चन्द्र जटिया, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.

मध्यप्रदेश बाल संरक्षण नीति, 2020

मध्यप्रदेश में बच्चों को अधिकार आधारित संरक्षण की दिशा में

मध्यप्रदेश शासन

अगस्त 2020

अनुक्रमणिका

योगदान और आभार 3

परिचय 4

मध्यप्रदेश बाल संरक्षण नीति (एमपीसीपीपी) 6

1. परिकल्पना, नीति कथन व सिद्धांत 6

1.1 राज्य की परिकल्पना 6

1.2 नीति कथन 6

1.3 मध्यप्रदेश बाल संरक्षण नीति का दायरा 7

1.4 मौलिक सिद्धांत 7

1.5 प्रमुख चुनौतियां और एमपीसीपीपी की आवश्यकता 8

2. परिभाषायें 9

3. नीतिगत प्रतिबद्धतायें 9

4. एमपीसीपीपी का क्रियान्वयन 14

4.1. प्रमुख जिम्मेदारियां 14

4.2. एमपीसीपीपी के क्रियान्वयन पर प्रतिवेदन 15

4.3. एमपीसीपीपी की समीक्षा और निगरानी 16

4.4 अनुपालन 16

योगदान और आभारः

मध्यप्रदेश बाल संरक्षण नीति का विकास, महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अन्य विभागों यथा शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम और रोजगार, गृह, जनजातीय विकास और सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग के परामर्श एवं यूनिसेफ - मध्यप्रदेश कार्यालय और एनफोल्ड प्रोएक्टिव हेल्थ ट्रस्ट, बैंगलुरू की तकनीकी साझेदारी में किया गया है।

यह नीति, राज्य में बाल संरक्षण हितधारकों - बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्डो, जिला बाल संरक्षण इकाईयों, बाल देखरेख संस्थानों, पुलिस और गैर सरकारी संगठनों आदि के साथ परामर्श की एक श्रृंखला के माध्यम से, विकसित की गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बालक एवं बालिकाओं के एक समूह, विशेष जरूरतों वाले बच्चों सहित, के साथ दो दिवसीय विमर्श में उनकी चुनौतियों, उनकी सुरक्षा के लिए किए जाने वाले प्रोटोकॉल पर ध्यान केंद्रित किया गया। बच्चों के साथ विमर्श की प्रक्रिया में प्राप्त जानकारियों को द्वितीयक अनुसन्धान के साथ मिलाया गया जो इस नीति का आधार बना।

नीति का निर्माण एंफोल्ड प्रोएक्टिव हेल्थ ट्रस्ट से अरलीन मनोहरन, स्वागता राहा व संगीता सक्सेना एवं यूनिसेफ से लॉलीचेन पी जोसेफ और अद्वैता मराठे द्वारा किया गया। महिला बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश सरकार से निदेशक श्रीमती स्वाति मीणा नाईक और संयुक्त संचालक डॉ. विशाल नाडकर्णी ने इस नीति पर प्रतिक्रिया प्रदान करने और नीति को अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

देश के विभिन्न हिस्सों से बाल अधिकार विशेषज्ञों के एक समूह ने नीति के अंतिम मसौदे (ड्राफ्ट) पर अपनी राय दी।

परिचय

बाल संरक्षण से आशय

बाल संरक्षण किसी भी व्यक्ति, परिवार, संस्था, प्रणाली या प्राधिकरण[1] की देखरेख में रहने वाले प्रत्येक बच्चे के साथ उपेक्षा, दुर्व्यवहार (मानसिक और शारीरिक), आर्थिक और लैंगिक शोषण सहित सभी प्रकार की हिंसा से संरक्षण प्राप्त करने के अहस्तांतरणीय अधिकार का उल्लेख करता है। समेकित बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) के तहत बाल संरक्षण का दायरा व्यापक है, क्योंकि यह बच्चों को किसी भी कथित या वास्तविक खतरे अथवा उनके जीवन, व्यक्तित्व और बचपन पर जोखिम से सरंक्षण प्राप्त करने से संबंधित है। बाल संरक्षण के अंतर्गत, बच्चों को किसी भी प्रकार की हानि की सुभेद्यता को कम करना तथा से सुनिश्चित करना शामिल है कि कोई भी बच्चा सामाजिक सुरक्षा तंत्र से बाहर न हो और इस तंत्र से बाहर के बच्चों को आवश्यक देखभाल, सुरक्षा और सहयोग प्रदान कर, सुरक्षा तंत्र में वापस लाया जाए।

भारत के संविधान, घरेलू कानून और बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समझौते (1989) के तहत राज्य का दायित्व है कि वह ''बच्चे[2] को उसके माता-पिता, कानूनी अभिभावक/ अभिभावकों या कोई अन्य व्यक्ति जिसके पास बच्चे की जिम्मेदारी है, की देखभाल में रहते हुए सभी प्रकार की शारीरिक या मानसिक हिंसा, चोट या दुर्व्यवहार, उपेक्षा या उपेक्षित व्यवहार, अत्याचार या शोषण, जिसमें लैंगिक उत्पीड़न भी शामिल है, सहित किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार या शोषण से बचाने के लिए सभी उपयुक्त विधायी, प्रशासनिक, सामाजिक और शैक्षणिक उपाय करे।''

मध्यप्रदेश शासन मानता है कि बाल संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रकार की हिंसा, दुर्व्यवहार और शोषण से निपटने के लिए प्रभावी निवारक उपायों और प्रतिक्रिया तंत्र के माध्यम से एक मजबूत सुरक्षात्मक वातावरण बनाने की आवश्यकता है। मध्यप्रदेश राज्य बाल संरक्षण नीति (एमपीसीपीपी) समेकित रूप में राज्य में सभी बच्चों के संरक्षण के लिए मानक निर्धारित करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सकें कि वे सुरक्षित और संरक्षित हैं, और वे अपने सभी अधिकारों का प्रयोग कर सकें और उनका आनंद ले सकें, इसके लिए सक्षम वातावरण उपलब्ध हो।

[1] कर्नाटक राज्य बाल संरक्षण नीति 2016

[2] बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समझौता 1989, अनुच्छेद 19(1)

मौजूदा कानूनी ढांचा

मध्यप्रदेश की यह बाल संरक्षण नीति, भारत के संविधान, विभिन्न बाल केंद्रित घरेलू कानूनों, भारत सरकार द्वारा अंगीकृत अंतर्राष्ट्रीय संधियों और मानकों के तहत प्रदान किये गये सुरक्षा उपायों की नींव पर आधारित है।

भारत का संविधान बच्चों को समान अधिकार प्राप्त नागरिकों के रूप में मान्यता देता है और राज्य को अनुच्छेद 15(3) के तहत बच्चों के हित के लिए विशेष कानून बनाने के लिए सशक्त करता है। बच्चों का, संविधान के भाग-3 में उपलब्ध मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने का अधिकार है। संविधान विशेष रूप से बच्चों के शिक्षा के अधिकार (अनुच्छेद 21ए) को मान्यता देता है और बाल श्रम (अनुच्छेद 24) पर प्रतिबंध लगाता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 39 (ई) और (एफ) के तहत राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिये सशक्त करता है कि "बच्चों की कम उम्र में उनके साथ दुर्व्यवहार न हो" और "बच्चों को स्वस्थ तरीके से स्वतंत्रता और गरिमा के साथ विकसित होने के अवसर और सुविधाएं प्राप्त हों" साथ ही उनके बचपन और युवावस्था को शोषण, नैतिक व भौतिक परित्याग से संरक्षित किया जायें।

मध्यप्रदेश की बाल संरक्षण नीति, बाल संरक्षण को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले सभी मौजूदा कानूनों के तहत दायित्वों को संज्ञान में लेती है, जिसमें किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और आदर्श नियम, 2016 (विशेष रूप से नियम 76), लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (पॉक्सो) और नियम 2020, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956, बाल और किशोर श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 और नियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, भारतीय दंड संहिता 1860, गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) 1989 और नियम, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 और राज्य नियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और नियम, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और नियम, एचआईवी और एड्स (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 2017 और नियम, मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम 2017 और नियम और ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 आदि शामिल हैं।

केंद्र सरकार ने 9 मार्च 2020 को बालकों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण के लिए नियम 2020 की अधिसूचना जारी की, जिसके नियम 3(5) के तहत राज्य सरकार का यह विशेष दायित्व है कि वह "बच्चों के विरूद्ध हिंसा पर शून्य सहिष्णुता (जीरों टॉलरेंस) के सिद्धांत को अपनाते हुए ऐसी बाल संरक्षण नीति बनाये, जिसे सभी संस्थाओं, संगठनों या अन्य एजेंसी, जो बच्चों के साथ काम कर रही हैं या बच्चों के संपर्क में आती हैं, के द्वारा अपनाया जाये।"

मध्यप्रदेश की बाल संरक्षण नीति, बाल संरक्षण पर उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्देशों को भी ध्यान में रखती है। विशेष रूप से उच्चतम न्यायालय द्वारा तमिलनाडु विरुद्ध भारत सरकार[3] के मामले में

[3] 2007 के डब्ल्यू.पी.(क्रिमिनल) नंबर 102 पर 05-05-2017 का निर्णय

राज्य के अनाथालयों में बच्चों के उत्पीड़न से जुड़े हाल के निर्देशों से उत्पन्न दायित्वों, जिसमें बाल देखरेख संस्थानों के कामकाज और प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेवी सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) को उपयोग में लाने की बात कही गई है; राष्ट्रीय बाल संरक्षण नीति के बारे में संपूर्णा बेहरूआ विरुद्ध भारत सरकार[4]; बच्चों के साथ बलात्कार की घटनाओं की संख्या में चिंताजनक वृद्धि [5]में जांच अधिकारियों के संवेंदीकरण और सहायक व्यक्ति के संबंध में; निपुण सक्सेना विरुद्ध भारत सरकार[6] में पीड़ित को मुआवजा देने के बारे में और महेंद्र चावला विरुद्ध भारत सकार[7] के मामले में गवाह को संरक्षण देने की योजना को लागू करने को लेकर दिए गए निर्देशों को इसमें शामिल किया गया है।

नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता 1966, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता 1966, महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने हेतु समझौता 1979, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समझौता (यूएनसीआरसी) 1989 और दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समझौता (यूएनसीआरपीडी) 2006 जैसी अंतर्राष्ट्रीय संधियों को अंगीकृत करने के बाद, भारत उनके अंतर्गत दायित्वों पर कार्यवाही करने हेतु बाध्य है। मध्यप्रदेश की बाल संरक्षण नीति, इन संधियों में निहित मानकों के साथ-साथ संधि करने वाले निकायों द्वारा की गई सामान्य टिप्पणियों को भी प्रतिबिंबित करता है। मध्यप्रदेश की बाल संरक्षण नीति, सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी), विशेष रूप से एसडीजी 16.2, जिसमें बच्चों से साथ सभी प्रकार की हिंसा, शोषण, मानव तस्करी और सभी प्रकार की हिंसा और प्रताड़ना की समाप्ति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करता है।

मध्यप्रदेश की यह बाल संरक्षण नीति, बच्चों के लिए राष्ट्रीय बाल नीति 2013 (एनपीसी, 2013) से भी प्रेरित है, जो यह मानती है कि बच्चों[8] के समग्र और सामंजस्यपूर्ण विकास और संरक्षण के लिए एक दीर्घकालिक, बहु-क्षेत्रीय (मल्टी सेक्टोरल), एकीकृत और समावेशी दृष्टिकोण आवश्यक है। साथ ही यह भी कि संरक्षण और भागीदारी, हर बच्चे के निर्विवाद अधिकार और प्रमुख प्राथमिकताएं हैं। विशेष रूप से एनपीसी, 2013 में राज्य सरकारों पर[9] प्रभावी और सुलभ शिकायत निवारण तंत्र सहित बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य स्तर पर विधायी, प्रशासनिक और संस्थागत निवारण तंत्रों को बढ़ावा देने और मजबूत करने की बाध्यता लागू की गई है।

मध्यप्रदेश की बाल संरक्षण नीति, बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना 2016 से उत्पन्न दायित्वों को आगे बढ़ा रही है, जो संरक्षण को तीसरी प्रमुख प्राथमिकता के रूप में मानती है, अर्थात् उद्देश्य 2 के अनुसार - "सभी बच्चों[10] को हिंसा ओर दुर्व्यवहार, जोखिम, उपेक्षा, लांछन, भेदभाव, अभाव, आर्थिक और लैंगिक शोषण, परित्याग, अलगाव, अपहरण, बिक्री या तस्करी[11] सहित सभी प्रकार की हिंसा से सुरक्षित रखना।'' इस कार्य-योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को सभी व्यावसायिक घरानों/मीडिया घरानों/बच्चों के

---

[4] M.A.No. 2069/2018 में डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 473/2005 आदेश दिनांक 14-08-18,04-10-18, 08-10-18 और 27-11-18.

[5] स्वतः संज्ञान रिट याचिका (क्रिमिनल) नंबर 1/2019

[6] 2016 के डब्ल्यू.पी.(अपराधिक) 156 पर 5/12/2018 का निर्णय

[7] 2016 के डब्ल्यू.पी.(अपराधिक) 156 पर 5/12/2018 का निर्णय

[8] बच्चों की राष्ट्रीय नीति 2013, प्रस्तावना, सेक्शन 2.1

[9] बच्चों की राष्ट्रीय नीति 2013, प्रस्तावना, सेक्शन 3(3)

[10] बच्चों की राष्ट्रीय नीति 2013, प्रस्तावना, सेक्शन 4.13 के साथ राष्ट्रीय बाल संरक्षण नीति 2018 (प्रारूप) को भी ध्यान में रखा गया।

[11] राष्ट्रीय कार्ययोजना 2016, पृष्ठ 86, राष्ट्रीय बाल संरक्षण नीति 2018 के मसौदे पर भी विचार किया गया है।

साथ कार्य करने वाली एजेंसियों द्वारा बच्चों के विरुद्ध होने वाली ऐसी किसी भी संभावित कार्यवाही के विरूद्ध जो बाल अधिकारों का उल्लंघन करती है[12], से बच्चों को बचाने के लिए एक बाल संरक्षण नीति और दिशा-निर्देश विकसित करना शामिल है। यह नीति सभी शिक्षकों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं[13] और सभी स्टाफ सदस्यों/देखभाल करने वालों (सहायक कर्मचारियों/सुरक्षा गार्डो सहित) के लिए भी होगी[14]।

बाल संरक्षण के लिए मध्यप्रदेश राज्य कार्य-योजना 2018 के परिच्छेद 12 में राज्य सरकार का दायित्व है कि वह एक व्यापक बाल संरक्षण नीति विकसित करें, जों उन सभी संस्थानों और कार्यकर्ताओं के आचरण और व्यवहार के लिए दस्तावेज बने, जहां बच्चों को रखा गया हो और जहां वे अपना अधिकांश समय व्यतीत करते हैं, जिसमें स्कूल, हॉस्टल, आश्रम स्कूल, सीसीआई, एसजेपीयू और एनजीओ संचालित गृह भी[15] शामिल हैं।

मध्यप्रदेश बाल संरक्षण नीति (एमपीसीपीपी)

मध्यप्रदेश में बच्चों को अधिकार आधारित संरक्षण की दिशा में

1. परिकल्पना, नीति कथन और सिद्धांत

1.1 राज्य की परिकल्पना

1. मध्यप्रदेश में हर बच्चा सुरक्षित हो और सभी स्थितियों, परिस्थितियों में स्वंय कों सुरक्षित व संरक्षित अनुभव करता हो और उसका विकास तथा पालन-पोषण एक सुरक्षित, संरक्षित और सशक्त वातावरण में हों, एक ऐसा वातावरण, जो सभी बच्चों के समग्र विकास को बढावा दे और उन्हें अपनी पूरी क्षमताओं को उपयोग करने का अवसर मिले।

2. सरकार, वैधानिक निकाय, माता-पिता, देखभाल करने वाले और समुदाय सहित सभी हितधारक बच्चों का सम्मान करते हुए, उनकी रक्षा, संवर्धन और सभी बच्चों के सभी अधिकारों को पूरा करने, उनसे संबंधित मामलों में भागीदारी के अपने अधिकार को सुनिश्चित करने, बच्चों के साथ भेदभाव को समाप्त करने और सम्मान के साथ उनके सवोत्तम हित और जीने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए निष्ठा और साझेदारी के साथ काम करें।

1.2 नीति कथन

3. मध्यप्रदेश शासन, राज्य में प्रत्येक बच्चे को सभी प्रकार की हिंसा, दुर्व्यवहार, उपेक्षा और शोषण से, समान और भेदभाव रहित संरक्षण, के उनके अपरिहार्य अधिकार को मान्यता देती है।

---

[12] राष्ट्रीय कार्ययोजना, 2016, उप-उद्देश्य 3.4, पी 47 के तहत प्राथमिकता कार्यवाही संख्या 1

[13] राष्ट्रीय कार्य योजना, 2016, उप-उद्देश्य 33 के तहत प्राथमिकता कार्यवाही मद संख्या 2 - बच्चों और मानवीय सहायता, 3.3.1 के लिए डिजाइन किए गए सभी प्रोग्रामिंग में मुख्यधारा के बाल संरक्षण के मुद्दों पर अभिभावकों/शिक्षकों/एएनएम/आंगनवाडी कार्यकर्ता/आशा/चिकित्सकों को जागरूक करें, पृष्ठ 102

[14] राष्ट्रीय कार्य योजना, 2016, उप-उद्देश्य 3.3 के तहत प्राथमिकता कार्यवाही मद संख्या 3 - बच्चों और मानवीय सहायता, 3.3.2 के लिए डिजाइन किए गए सभी प्रोग्रामिंग में मुख्यधारा के बाल संरक्षण। सुनिश्चित करें कि कोई भी बच्चा स्कूलों/अस्पताल/बाल देखरेख संस्थायें/सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी शारीरिक मानसिक दुव्यवहार और शोषण के अधीन नहीं है, पृष्ठ 102

[15] मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति, महिला एवं बाल विकास विभाग और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से तैयार बाल संरक्षण की राज्य कार्य-योजना 2018, मध्यप्रदेश, 15.11.2018 को उच्चतम न्यायालय किशोर न्याय समिति को प्रस्तुत की गयी।

4. मध्यप्रदेश शासन बच्चों के विरूद्ध सभी परिस्थितियों में शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और लैंगिक हिंसा, प्रताड़ना और अन्य क्रूर अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार, बाल दुर्व्यवहार और शोषण, बंधक बनाने, घरेलू हिंसा, अनाचार, बच्चों और उनके अंगो की तस्करी या बिक्री, बाल वेश्यावृत्ति, बच्चों की अश्लील तस्वीरें और अश्लील सामग्री, बाल यौन पर्यटन, बच्चों का गिरोह बनाकर सशस्त्र हिंसा, बच्चों का ऑनलाइन और ऑफलाइन यौन शोषण, साइबर धमकी, महिला जननांगो का खतना और बाल विवाह अथवा बच्चों की जबरन शादी[16] जैसे हिंसा के सभी रूपों की कड़ी निंदा करती है।

5. मध्यप्रदेश शासन एक अधिकारमूलक दृष्टिकोण को अपनाते हुए बच्चों को सभी प्रकार की हिंसा दुर्व्यवहार, उपेक्षा और शोषण से संरक्षण के अधिकार को सुनिश्चित करने और इनकी रोकथाम के एक प्रभावी, मजबूत और सुगम तंत्र को स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

1.3 मध्यप्रदेश की बाल संरक्षण नीति का विस्तार क्षेत्र

6. सभी स्थितियों में मध्यप्रदेश राज्य के भीतर सभी बच्चों को एमपीसीपीपी के विस्तार क्षेत्र मे शामिल किया जाता है। एमपीसीपीपी सभी सरकारी विभागों, कर्मियों और वैधानिक निकायों , कंपनियों, संगठन और संस्थाएं जो कि वर्तमान में लागू किसी भी कानून के तहत पंजीकृत हों या नहीं हों, मीडिया और बच्चों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क में आने वाले व्यक्तियों पर लागू होती है।

1.4 मौलिक सिद्धांत

7. सर्वोत्तम हित[17], समानता और भेदभाव रहित[18], उत्तरजीविता, अस्तित्व और विकास[19] तथा भागीदारी[20] के सामान्य सिद्धांत, मध्यप्रदेश की बाल संरक्षण नीति, के उपयोग और क्रियान्वयन के मूल सिद्धांत हैं और ये बच्चों से संबंधित राज्य की सभी प्रकार की कार्यवाहियों, नीतियों, कानूनों, मानकों या दिशा-निर्देशों का आधार बनेंगे।

8. उपरोक्त सामान्य सिद्धांतों के अतिरिक्त मध्यप्रदेश शासन, किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 3 में निहित सिद्धांतों का, पालन करेगा, विशेष रूप से बच्चों की निर्दोषिता की उपधारणा, उनकी गरिमा और आत्म-गौरव, सुरक्षा, सकारात्मक उपाय, उन्हें लांछित न करने वाले शब्दों का प्रयोग, निजता और गोपनीयता, संस्थागत देखभाल को अंतिम विकल्प के रूप चुनने, जीवन की नई शुरूआत और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

---

[16] आम सभा द्वारा बाल अधिकारों पर 24 दिसंबर 2017 को पारित संकल्प ए/आरईएसएस/72/245, पैरा 22, https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/RES/72/245

[17] यूएनसीआरसी, 1989, अनुच्छेद 3 (1) और धारा 2 (1) (iv), किशोर न्याय अधिनियम, 2015

[18] यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 (1), धारा 3, किशोर न्याय अधिनियम, 2015, अनुच्छेद 2, यूएनसीआरसी और दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत राज्य पर दायित्व के आधारित है; एचआईवी और एड्स (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 2017; मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम, 2017; और ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019

[19] यूएनसीआरसी, अनुच्छेद 6, सामान्य टिप्पणी क्रमांक 13 (2011) हिंसा के सभी रूपों से मुक्ति के लिए बच्चे का अधिकार, सीआरसी/सी/जीसी/13, 18 अप्रैल 2011, पैरा 3 (ख)

[20] यूनएनसीआरसी, 1989, अनुच्छेद 12(1)।

9. अनुच्छेद 37 (बी), 6(1) और 9(1) के अनुसार, किसी भी बच्चे को गैरकानूनी या मनमाने ढंग से[21] अपनी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा किसी भी बच्चे को यातना या अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजक व्यवहार या सजा[22] नहीं दी जाएगी।

10. मध्यप्रदेश शासन, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के सिद्धांतों का विशेष रूप से पालन करेगी, जिसमें अंतर्निहित गरिमा, वैयक्तिक स्वयातता, भेदभाव रहित पूर्ण और प्रभावी भागीदारी, सामाजिक समावेश, पहुंच, अवसर की समानता, दिव्यांगजनों की भिन्नता, दिव्यांग बालकों की बढ़ती हुई क्षमता का आदर और दिव्यांग बालकों की पहचान परिरक्षित करने के उनके अधिकार शामिल है।

11. मध्यप्रदेश शासन मानता है कि संयुक्त राष्ट्र बच्चों की वैकल्पिक देखभाल दिशा-निर्देश (2010) के अनुसार, बच्चे की वैकल्पिक देखभाल से संबंधित निर्णय, वैकल्पिक देखभाल सेवा से जुड़े वांछनीय सिद्धांतों को देखते हुए ही लिए जाएंगे, ताकि बच्चे को उसके आदतन/सामान्य निवास स्थान के जितना करीब हो सके रखा जा सके और उसका परिवार से संपर्क और संभावित दोबारा जुड़ाव सुगम हो तथा बच्चे की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक जीवन[23] में न्यूनतम व्यवधान आए।

12. इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में साझेदारी के सिद्धांत का उपयोग किया जाएगा, जिसमें विभिन्न सहायक सरकारी विभागों के बीच क्षैतिज गठजोड़ बनाने, केंद्रीय, जिला, पंचायत, नगरपालिका/ गांव स्तर पर सीधा संपर्क कायम करने और व्यापक समाज के साथ अंतः-संबंध (क्रॉस लिंकेज) स्थापित किया जाएगा। इसमें वैकल्पिक देखरेख में रहने वाले बच्चे और पश्चातवर्ती देख-रेख संस्थाओं में रहने वाले युवा भी शामिल होंगे। स्थानीय सरकारी संस्थाएं यानी पंचायतीराज संस्थाएं और नगरीय निकाय इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होंगे

1.5 प्रमुख चुनौतियॉ और मध्यप्रदेश की बाल संरक्षण नीति की आवश्यकता

13. मध्यप्रदेश की बाल संरक्षण नीति का औचित्य राज्य में, बच्चों के प्रभावी और व्यापक संरक्षण तंत्र में आने वाली बाधाओं और मुख्य चुनौतियों से निवारण है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैः

क. बच्चों के संरक्षण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों, कर्मचारियों, परिवारों, समुदाय तथा संस्थानों और सामान्य लोगों के बीच राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत संरक्षण व बाध्यताओं के बारे में आमतौर पर सीमित समझ है।

ख. घर, परिवार और उन अन्य संबंधित परिस्थितियों में, जहां बच्चे रहते और काम करते हैं, वहां सभी तरह की हिंसा के प्रति अपर्याप्त समझ और हिंसा पर ध्यान न देना।

---

[21] यूएनसीआरसी, 1989 के अनुच्छेद 37 (बी) की भारत द्वारा 1992 में पुष्टि की गई थी और बाल न्याय तंत्र में बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सामान्य टिप्पणी संख्या 24 के खंड 85

[22] यूएनसीआरसी, अनुच्छेद 37 (ए); विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम (आरपीडी) , 2016, धारा 6 और मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम 2017, धारा 95, 96 और 97

[23] बच्चों की वैकल्पिक देखभाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा-निर्देश, 2010, खंड 10

ग. इस बात को कम महत्व देना कि संरक्षण उतने ही विविध तरह से हो सकता है, जितनी कि बच्चों की सुभेद्यताएं, आवश्यकताएं और परिस्थितियॉं हैं। साथ ही यह भी आवश्यक है कि बच्चों को उनकी बढ़ती हुई स्वायत्तता के साथ संतुलित करने हुए संरक्षित करना।

घ. अनुभवी, संवेदनशील और प्रशिक्षित कर्मचारी, जिनमें सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक, चिकित्सकीय स्टाफ, परामर्शदाता, पुलिस और अन्य कर्मी, जो विभिन्न परिस्थितियों में बच्चों की देखभाल और संरक्षण से जुड़े हों, की अनुपलब्धता और अभाव।

ड. बाल संरक्षण के तंत्र को मजबूत करने के लिए अपर्याप्त संसाधन, बजट की कमी मूलभूत संरक्षण सेवाओं को उपलब्ध न करा पाना।

च. बच्चों के संरक्षण के लिए कानून व योजनाओं के क्रियान्वयन व निगरानी में कमी।

छ. बाल संवेदी न्यायिक तंत्र को प्राथमिकता न देना।

2. परिभाषाएं

14. मध्यप्रदेश की बाल संरक्षण नीति में प्रयुक्त होने वाले शब्दों की परिभाषा इस प्रकार हैं:

क. **''बच्चा''**: वह व्यक्ति जो 18 वर्ष [24] से कम उम्र का हो।

ख. ''बाल अनुकूल'', कोई भी ऐसा व्यवहार, आचरण, अभ्यास, प्रक्रिया, दृष्टिकोण, परिवेश या उपचार, जो मानवीय, तार्किक और बच्चे[25] के सर्वोत्तम हित में हो।

ग. **''सक्षम प्राधिकारी''**: इसमें वे सभी प्राधिकरण शामिल होंगे, जिन्हें वर्तमान कानूनों के अंतर्गत मान्यता दी गई है, जिनमें किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्ड, विशेष किशोर पुलिस ईकाई शामिल होंगे। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) 2012 के तहत विशेष न्यायालय, किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत परिभाषित बाल न्यायालय, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत मध्यप्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और बच्चों से संबंधित किसी अन्य कानून के तहत मान्यता प्राप्त सक्षम प्राधिकरण भी इसमें शामिल होंगे।

घ. **''बच्चों से प्रत्यक्ष संपर्क में व्यक्ति''** : वे व्यक्ति जो बच्चे या बच्चों के साथ अपने स्वंयसेवी/व्यावसायिक/मानद/सेवाओं के कारण शारीरिक रूप से उपस्थित हो, चाहे वे नियमित/सामयिक/अस्थायी/दीर्घावधि के लिए क्यों न हों[26]।

ड. **''बच्चों के साथ अप्रत्यक्ष संपर्क में व्यक्ति''**: जिन व्यक्तियों के काम में उन्हें अपनी व्यावसायिक/मानद/स्वयंसेवी सेवाओं के लिए बच्चे साथ शारीरिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यता नहीं होती है, चाहे वह नियमित/सामयिक/ अस्थायी /लंबी अवधि के लिए हों, लेकिन जिसमें बच्चे के बारे में जानकारी जैसे व्यक्तिगत विवरण और फोटोग्राफ, मेडिकल रिकॉर्ड, केस फाइल्स सहित अन्य डेटा तक पहुंच शामिल है[27]।

---

[24] किशोर न्याय अधिनियम, 2015, धारा 2(12)

[25] किशोर न्याय अधिनियम, 2015, धारा 2(15)

[26] कर्नाटक राज्य बाल संरक्षण नीति, 2016

[27] कर्नाटक राज्य बाल संरक्षण नीति, 2016

च. **''सुरक्षात्मक परिवेश''**[28]: इसमें वह परिवेश शामिल है, जिसमें बच्चों के लिए यह सुनिश्चित किया जाए कि उन्हें (1) किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार, उपेक्षा, शोषण और हिंसा से सुरक्षा और स्वतंत्रता (2) नुकसान के जोखिम से बचाव (3) सुभेद्यता में कमी (4) बाल संरक्षण सेवाओं और सहायता प्रणालियों तक पहुंच (5) सुरक्षा तंत्र और सामाजिक कार्यक्रमों के दायरे से बाहर होने से बचाव (6) बच्चों के प्रति राज्य, अधिकारी-कर्मचारियों, संस्थाओं, परिवार, नियोक्ताओं और समुदाय की जवाबदेही प्राप्त हो और (7) एक सक्षम वातावरण, जहां बच्चे स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।

छ. **''हिंसा''** का अर्थ है लैंगिक दुर्व्यवहार सहित शारीरिक या मानसिक हिंसा, चोट या दुर्व्यवहार, उपेक्षा या उपेक्षित व्यवहार, अत्याचार या शोषण, जिसमें लैंगिक उत्पीड़न भी शामिल है''[29]।

3. नीतिगत प्रतिबद्धताएं

15 मध्यप्रदेश शासन यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि बाल संरक्षण से संबंधित सरकार के सभी कार्यो और निर्णयों में बच्चों का सर्वोत्तम हित प्राथमिक है। मध्यप्रदेश शासन, बाल अधिकार आधारित नीति और कानून में सुधार और बाल संवेदनशील शासन के माध्यम से उनके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा, जिसमें नियोजन, बाल अनूकूल बजट, क्षमता विकास, निगरानी, मूल्यांकन और बाल संरक्षण के लिए एमआईएस का निर्माण शामिल है।

16 मध्यप्रदेश शासन, अपने अधिकार क्षेत्र में सभी बच्चों की, बिना किसी भेदभाव, जो बच्चे या बच्चे के माता पिता या कानूनी अभिभावक की जाति, जनजाति, लिंग, लैंगिक अभिविन्यास, लैंगिक पहचान,भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य अभिमत, राष्ट्रीय, जातीय या सामाजिक उद्‌भव, संपत्ति, विकलांगता, एचआईवी/एड्स की स्थिति, जन्म या अन्य स्थिति[30] पर आधारित हो, के समान सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। हाशिये पर जाने या भेदभाव के जोखिम वाले बच्चों पर उनकी पहचान और परिस्थिति को देखते हुए ध्यान दिया जाएगा, विशेष रूप से देखभाल और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों, बालिकाओं, दिव्यांग बच्चों, कामकाजी बच्चों, संकटग्रस्त-प्रवासी समुदायों के बच्चों, एचआईवी/एड्स से प्रभावित बच्चों, कोविड-19 से प्रभावित बच्चों, ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स बच्चों, बेघर बच्चों, बाल देखरेख संस्थानों में रह रहे बच्चों, विधि विरोधी बालकों (बच्चों), प्राकृतिक/मानव निर्मित आपदाओं और संघर्ष के शिकार बच्चों और गंभीर रोगों के शिकार या प्रभावित बच्चों पर भी ध्यान दिया जाएगा। बच्चों की सभी सामाजिक क्षेत्रों-विशेष रूप से सामाजिक कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और न्याय में बाल संरक्षण सेवाओं तक पहुंच होगी।

---

[28] कर्नाटक राज्य बाल संरक्षण नीति, 2016

[29] बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, 1989 अनुच्छेद 19 (1) और बाल अधिकारों पर समिति, सामान्य टिप्पणी संख्या 13 (2011) हिंसा के सभी रूपों से स्वतंत्रता के लिए बच्चे का अधिकार, पैरा 4

[30] भारत के संविधान में यह अनुच्छेद 15 (1), धारा 3, किशोर न्याय अधिनियम, 2015, धारा 2, यूएनसीआरसी और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत राज्य के दायित्व पर आधारित है एचआईवी और एड्स (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 2017, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017, और ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019

17 यह स्वीकार करते हुए कि बच्चों के सभी अधिकारों की प्राप्ति के लिए सुरक्षित और सुरक्षात्मक वातावरण का निर्माण और संधारण (मेंटेनेस) एक पूर्व शर्त है[31], मध्यप्रदेश शासन, एक बाल अनुकूल सुरक्षात्मक वातावरण बनाने के प्रयासों को तेज करेगा, ताकि बच्चों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए और उनकी आयु और परिपक्वता को देखते हुए उनकी राय सुनी जाए और उनके अधिकारों के उल्लंघन के लिए जवाबदेही सुनिश्चित हो। जो बच्चे इस मध्यप्रदेश की बाल संरक्षण नीति के तहत परिभाषित हिंसाग्रस्त है, जिनमें विधि का उल्लघन करने वाले बालक तथा पश्चातवर्ती देखभाल में रहने वाले युवा शामिल हैं, को प्रभावी देखभाल, उपचार, विकास, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण का अधिकार है, मध्यप्रदेश शासन, ऐसे सभी बच्चों के लिए, ऐसी सेवाओं के प्रावधानों को प्राथमिकता देगी।

18 उपरोक्त को आगे बढ़ाते हुए, मध्यप्रदेश शासन यह सुनिश्चित करेगा किः

19 **सिद्धांतों पर अमल के लिए** मध्यप्रदेश की बाल संरक्षण नीति में संदर्भित सभी सिद्धांतो को मध्यप्रदेश राज्य में बच्चों की सुरक्षा के लिए सभी कार्यों से संबंधित निर्णय लेते समय लागू किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित विशिष्ट तरीके शामिल हैंः

क. सभी बच्चों के साथ हर समय गरिमा और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाएगा और उन्हें हिंसा, दुर्व्यवहार और शोषण से प्रभावी संरक्षण का लाभ मिलेगा, चाहे यह व्यवहार माता पिता, देखरेख करने वालों या सेवा प्रदाताओं, शिक्षकों, साथियों या तीसरे पक्ष के द्वारा किया गया हो या वहां पर हो जहॉं किसी भी देखरेख व्यवस्था में उन्हें रखा गया हो[32]।

ख. बाल संरक्षण के लिए प्रासंगिक किसी भी नए कानून, नीतियों, बजट और योजनाओं को तैयार करते समय बच्चों के सर्वोत्तम हितों पर विचार किया जाएगा। बाल संरक्षण के लिए राज्य के सभी संबंधित मौजूदा कानूनों, नीतियों और योजनाओं की पुनः जांच की जाएगी, ताकि यह आकलन किया जा सके कि क्या बच्चों के सर्वोत्तम हित पर विचार किया गया है और यदि आवश्यक हो तो संबंधित विभागों और सभी हितधारकों, विशेष रूप से बच्चों से विचार-विमर्श कर उन्हें संशोधित करने के लिए कदम उठाए जायेंगे।

ग. विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समूहों में दिव्यांग बच्चों सहित सभी बच्चों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा और मौजूदा कानूनों या योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा तथा बाल संरक्षण के लिए प्रासंगिक किसी भी नए कानून, नीतियों, बजट और योजनाओं को तैयार करते समय उनके सुझावों पर विचार किया जाएगा।

घ. बाल अनुकूल बजट प्रणाली को अपनाया और लागू किया जाएगा, जो बाल अधिकारों के दृष्टिकोण से बजट सुनिश्चत करती है, जिसमें सम्बंधित क्षेत्रों और एजेंसियों में बच्चों के लिए आवंटन की विशिष्टता, संकेतकों की निगरानी और ट्रेंकिंग, बाल अधिकारों के क्रियान्वयन पर बजटीय आवंटनों के प्रभाव की जानकारी का नियमित संग्रह, मूल्यांकन और प्रसार शामिल है।

[31] राष्ट्रीय बाल नीति, 2013, खंड 4.7

[32] बच्चों की वैकल्पिक देखभाल के लिये संयुक्त राष्ट्र के दिशा-निर्देश, 2010, खंड 11

ड. बाल संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने, प्रभावी बाल संरक्षण सेवा प्रबंधन और वितरण के लिए पर्याप्त ढांचागत, मानव, वित्तीय और अन्य संसाधन उपलब्ध कराने और विशिष्ट न्यायालयों, किशोर न्याय बोर्डो, बाल कल्याण समितियों और वन स्टॉप सेंटरों की संरचना को संशोधित करने के लिए पर्याप्त बजटीय निवेश किया जाएगा ताकि निर्धारित मानदंडो का पालन सुनिश्चित किया जा सके और उन्हें दिव्यांग बच्चों सहित सभी बच्चों के लिए सुगम और सुलभ बनाया जा सके।

च. अंतर्विभागीय अंतर्एजेंसी और बहु-क्षेत्रीय (मल्टी सेक्टोरल) अभिसरण और नेटवर्किंग को उपरोक्त सभी को सुनिश्चित करने के लिए सशक्त किया जाएगा।

छ. बच्चों को यांत्रिकीय रूप से बाल देखभाल संस्थानों में नहीं रखा जाएगा[33] और प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों और सिद्धांतों, विशेष रूप से बच्चों की बात सुने जाने के अधिकार को लागू किया जाएगा। किसी भी बच्चे को दिव्यांगता या ट्रांसजेंडर के रूप में पहचान के आधार पर उसके माता-पिता से अलग नहीं किया जाएगा, केवल सक्षम न्यायालय के आदेश को छोड़कर, जब ऐसा करना बच्चे के सर्वोत्तम हित में[34] हो।

ज. कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार की हिंसा, दुर्व्यवहार और शोषण का शिकार नहीं होगा चाहे वह सार्वजनिक या निजी स्थानों, स्कूलों, संस्थानों, परिवार, समुदाय या किसी अन्य स्थितियों में हो। किसी भी बच्चे के साथ पुलिस/एसजेपीयू सहित किसी भी तरह की यातना या दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा।

झ. इंटरसेक्स बच्चे[35] सहित किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की जबरदस्ती, बलपूर्वक या अन्यथा उसकी इच्छा के विरूद्ध लैंगिक पहचान में बदलाव[36] के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, किसी भी बच्चे को लैंगिक अभिविन्यास या लैंगिक पहचान के आधार पर किसी भी प्रकार के चिकित्सा सुविधा तक सीमित रहने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा[37]। जीवन के लिए खरतनाक परिस्थितियों को छोड़कर शिशुओं और बच्चों पर 'सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी' निषिद्ध होगी[38]।

य. विकलांग बच्चों की शारीरिक अखंडता या सुरक्षा को प्रभावित करने वाले निर्णय आरपीडी अधिनियम, 2016 के साथ -साथ अन्य लागू कानूनों के अनुसार लिए जाएंगे।

---

[33] यूएनसीआरसी, 1989, अनुच्छेद 9(1)

[34] विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016, बच्चों की वैकल्पिक देखभाल के लिये धारा 9(1) संयुक्त राष्ट्र दिशानिर्देश, 2010, खंड 11 और ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019, धारा 12(1)

[35] मध्यलिंगी विविधताओं के साथ व्यक्ति शब्द को धारा 2(i) ट्रांसजेडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 में परिभाषित किया गया है।

[36] योग्यकर्ता सिद्धांत प्लस 10, सिद्धांत 32 - शारीरिक और मानसिक अखंडता का अधिकार, 10 नवंबर 2017, http://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/2017/11/A5_yogyakartaWEB-2.pdf

[37] योग्यकर्ता सिद्धांत : यौन अभिविन्यास और लैंगिक पहचान, 2007, सिद्धांत 18 के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के आवेदन पर सिद्धांत, http://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/2016/08/principles_en.pdf इसे धारा 18(डी), ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 और धारा 75, किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के साथ पढा जाना चाहिये।

[38] अरुणकुमार वि. पंजीकरण महानिरीक्षक, WP (एमडी) 2019 के संख्या 4125 और 2019 के WMP (एमडी) संख्या 3220 मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ द्वारा 22.04.19 को फैसला किया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (एम-2), तमिलनाडु सरकार,आदेश, जीओ (एमएस) क्रमांक 355, दिनांक 13-08-2019 https://www.hrw.org/sites/default/files/supporting_resources/tn_order_august_2019.pdf

प. बच्चों और किशारों की गोपनीय यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सूचना और सेवाओं तक प्रभावी पहुंच होगी[39]।

20. प्रभावी रोकथाम के लिए

क. बच्चों के प्राथमिक देखभाल प्रदाता के रूप में, परिवार, किसी भी जोखिम की रोकथाम सहित अपने बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और मध्यप्रदेश शासन इस भूमिका के प्रभावी निर्वहन में उनका पर्याप्त सहयोग करेगा।

ख. सार्वभौमिक जन्म पंजीकरण के माध्यम से बच्चे की पहचान, और कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में पहचाने जाने का उसका अधिकार सुनिश्चित किया जाएगा।

ग. निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, स्थानीय प्राधिकरणों और बाल संरक्षण समितियों, स्कूल प्रबंधन समितियों, पैरा-लीगल वालंटियर्स सहित समुदाय आधारित तंत्रो को सभी प्रकार की हिंसा, दुर्व्यवहार, शोषण और बच्चों में नशे के प्रयोग की रोकथाम व बच्चों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और उन्हें समर्थन दिया जाएगा।

घ. जोखिम में रहनेवाले बच्चों या परिवारों की पहचान करने के लिए जिला बाल संरक्षण ईकाई द्वारा नियमित अंतराल पर सर्वेक्षण और उनकी सुभेद्यता का मानचित्रण किया जाएगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा या बाल संरक्षण प्रणाली के दायरे में लाने के लिये आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

ड. बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए झूलाघर (क्रेश) और डे केयर सुविधाएं[40] सुनिश्चित की जायेंगी।

च. बाल हिंसा पर रोकथाम की प्रक्रिया सकरात्मक पालन-पोषण, लैंगिक समानता, बच्चों में नशा, सभी उपलब्ध हेल्पलाइन, कानून और बाल संरक्षण के लिए प्रासंगिक योजनाओं आदि की जागरूकता के लिये अभियान और सत्र आयोजित किये जायेंगे और ये जागरूकता सत्र सभी बच्चों, माता पिता और वयस्कों के लिए उनकी आयु, शैक्षणिक स्तर और दिव्यांगता को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध कराया जायेंगे।

छ. जीवन कौशल और आयु-उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा (ऑनलाइन सुरक्षा सहित) के कार्यक्रम स्कूली पाठ्यक्रम में और समुदाय और बाल रेखरेख संस्थानों में बच्चों के लिए किसी अन्य तरीकों से शुरू किए जाएंगें।

ज. बच्चों, किशारों और युवाओं को अधिकार आधारित भागीदारी और समाज में नागरिको को जोड़कर उनके सशक्तिकरण और आत्मनिर्णय की भावना को बढ़ावा दिया जाएगा।

झ. देखभालकर्ता और सेवा प्रदाता, जिन्हें बच्चों की देखभाल और सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए नियुक्त किया गया है, बच्चों के साथ, मध्यप्रदेश की बाल संरक्षण नीति और उसके संचालक दिशा-निर्देशों के व्यावहारिक रूप का पालन करेंगे।

---

[39] भारत सरकार की बाल अधिकारों पर समिति की संयुक्त तीसरी और चौथी आवधिक रिपोर्टों पर टिप्पणियों का समापन, सीआरसी/सी/आईएनडी/सीओ/3-4, 7 जुलाई 2014, पैरा 66 (बी)

[40] राष्ट्रीय बाल संरक्षण नीति, 2018 के मसौदे में अपनाया गया।

21. **प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए**

क. बच्चों और युवाओं को उन्हें प्रभावित करने वाले मामलों पर अपने विचार और राय व्यक्त करने लिए सशक्त किया जाएगा और उन्हे समर्थन दिया जाएगा और बिना प्रतिशोध के डर से हिंसा, दुर्व्यवहार और शोषण के किसी भी रूप की रिपोर्ट करने के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा।

ख. मौजूदा कानूनों के तहत शिकायत और रिपोर्टिंग तंत्र स्थापित किए जाएंगे, जो परिवार, शैक्षणिक संस्थानों, कार्यस्थलों, सार्वजनिक स्थलों, आवासीय संस्थानों, बाल देखरेख संस्थानों आदि जैसी स्थिति में सभी बच्चों के लिए सुदृढ़, बाल अनुकूल, सुरक्षित और सुलभ होंगे। पीड़ित बच्चों/गवाह संरक्षण के लिए एक मजबूत प्रणाली स्थापित की जाएगी[41]।

ग. उचित वित्तीय और अन्य सामाजिक सुरक्षा की सहायता सहित समुचित सहायता के बाद भी बच्चे का परिवार उसकी योग्य देखभाल करने में अनिच्छुक या असमर्थ है, या बच्चे को छोड़ना या त्यागना चाहता हो तो सक्षम अधिकारी ऐसे बच्चे की देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। संबंधित प्राधिकरण, वैकल्पिक देखरेख में रखे गए ऐसे बच्चों की सुरक्षा, भलाई और विकास के साथ-साथ देखरेख व्यवस्थाओं की उपयुक्तता की नियमित समीक्षा और निगरानी सुनिश्चित करेगा।

घ. पीड़ित बच्चों और उनके परिवारों को उपचार और पुनर्वास के लिए पर्याप्त परामर्श और मनो-सामाजिक सहायता उपलब्ध कराई जायेगी। दिव्यांग बच्चों सहित पीड़ित बच्चों को कानूनी प्रक्रियाओं में उनकी सार्थक भागीदारी निभाने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक सहायक व्यक्ति, विशेष शिक्षक, अनुवादक और दुभाषिये प्रदान किए जाएंगे। पीड़ित बच्चों को समयबद्ध रूप से मुआवजा प्रदान किया जाएगा।

ङ. बच्चों को मुफ्त और गुणवत्ता पूर्ण कानूनी सहायता तक पहुंच और कानूनी प्रतिनिधित्व का उनका अधिकार सम्मानूर्वक उपलब्ध कराया जाएगा।

च. विधि का उल्लंघन करने वाले बालक, देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक और पीड़ित बच्चों की पहचान सुरक्षित रखी जायेगी और उनकी जानकारी केवल कानूनी सम्मत ढंग से ही दी जा सकेगी। सभी हितधारक, विशेष रूप से मीडिया यह सुनिश्चित करेगा कि वे मार्गदर्शक सिद्धांतों और कानूनी प्रावधानों, विशेष रूप से बच्चे के निजता और गोपनीयता[42] के अधिकार का सम्मान करें, और सभी बच्चों, विशेषकर देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे (सीएनसीपी), विधि का उल्लंघन करने वाले बालक (सीसीएल) और पीड़ित बच्चों के प्रति उनका व्यवहार संवेदनशील और बाल हितैषी[43] हो, विशेष रूप से जब वे किसी भी प्रकार की हिंसा, दुर्व्यवहार और शोषण के आरोपों की रिपोर्टिंग से संबंधित प्रक्रियाओं से जुड़े हों।

[41] यह 2016 के महेंद्र चावला वि. भारत सरकार, डब्ल्यूपी (आपराधिक) नंबर 156 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को आगे बढ़ाते हुए, साथ ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत पीड़ितों और गवाहों के अध्याय आईवीए-अधिकार को जोड़कर।

[42] धारा 3 (11) और धारा 74, किशोर न्याय अधिनियम, 2015 और धारा 23, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012

[43] धारा 2 (15), किशोर न्याय अधिनियम, 2015 'चाइल्ड फ्रेंडली' के रूप में परिभाषित करता है जिसका अर्थ है किसी भी व्यवहार, आचरण, अभ्यास, प्रक्रिया, दृष्टिकोण, पर्यावरण या उपचार जो मानवीय, तार्किक और बच्चे के सर्वोत्तम हित में है।

छ. उचित कानूनी और प्रशासनिक प्रतिक्रिया के लिए प्रभावी तंत्र स्थापित किया जाएगा और बच्चों के विरूद्ध हिंसा के सभी रूपों से संबंधित आरोपों मामलों मे त्वरित कार्यवाही की जाएगी।

22. बाल संरक्षण के लिए विशिष्ट और संबद्ध कार्यबल का सुदृढ़ीकरण

क. निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रियाओं, उचित क्षमतावर्धन, तकनीकी और मनो-सामाजिक सहायता, समय पर भुगतान, बीमा, जोखिमों से सुरक्षा और सुपरिभाषित कैरियर वृद्धि के माध्यम से सभी विभागों में बाल संरक्षण के विशिष्ट और संबद्ध कार्यबल के सुदृढ़ीकरण के लिये पर्याप्त वित्तीय और अन्य तरह का निवेश किया जाएगा।

ख. बाल संरक्षण और संबद्ध कार्यकर्ताओं जैसे स्थानीय प्राधिकरणों, शिक्षकों, स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों, श्रम पदाधिकारियों और अन्य लोगों के लिए मौजूदा बाल संरक्षण कानूनों, शिष्टाचार के साथ-साथ विकलांग बच्चों और ट्रांसजेंडर बच्चों सहित बच्चों के अनुकूल, भेदभाव रहित देखभाल संरक्षण तथा परिवार को मजबूत करने लिए आवश्यक दृष्टिकोण और कौशल विकास के लिए नियमित प्रशिक्षण और कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी।

23. प्रभावी निगरानी के लिए

क. बच्चों के लिए सभी कार्यक्रमों और उनके संचालन का डिजाइन, क्रियान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन बच्चे को किसी भी कर्मचारी या पदाधिकारी द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से जोखिम में न डालते हुए किया जाएगा।

ख. बाल संरक्षण प्रणाली को मजबूत करने और बच्चों के खिलाफ सभी प्रकार की हिंसा को प्रभावी ढंग से रोकने और उनका प्रत्युत्तर देने के लिए बच्चों सहित सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करके सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) और प्रभाव आकलन किया जाएगा, ताकि कमियों की पहचान कर उनका समाधान किया जा सके।[44]

ग. आयु, लैंगिक पहचान, जाति, जनजाति, धर्म, विकलांगता, आय वर्ग, साक्षरता स्तर आदि के आधार पर बच्चों के विरूद्ध हिंसा के प्रकरणों, किशोर न्याय प्रणाली के अंतर्गत बालकों, बाल देखरेख संस्थानों में बालकों, कोविड-19 से प्रभावित बालकों, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं आदि से प्रभावित बालकों की जानकारी को 'सार्वजनिक डोमेन' में बच्चों की पहचान को सुरक्षित रखते हुए उपलब्ध कराया जायेगा।

24. मध्यप्रदेश की बाल संरक्षण नीति को मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित किया जाएगा ओर सभी संबंधित विभागों, विशेष रूप से महिला एवं बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, गृह विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण, श्रम विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और ऐसे अन्य विभागों जिनके पदाधिकारियों का

---

[44] संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य संख्या 16.2, https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ पर उपलब्ध।

बच्चों से सीधा संपर्क है, द्वारा इसे अपनाया और लागू किया जाएगा। संबंधित विभाग परिचालन दिशा-निर्देश भी विकसित करेंगे और इसके प्रभावी अनुपालन की नियमित आधार पर निगरानी की जाएगी।

4. मध्यप्रदेश की बाल संरक्षण नीति का क्रियान्वयन

4.1 प्रमुख जिम्मेदारियां

25. मध्यप्रदेश शासन इस बाल संरक्षण नीति को लागू करेगा, जो निम्नलिखित प्रमुख विचारों और जिम्मेदारियों के आधार पर है :-

26. **परिचालन दिशा-निर्देशः** चूंकि बच्चे अलग-अलग स्थिति या अलग-अलग परिवेश में मिलते हैं, इसलिए मध्यप्रदेश राज्य में लागू सभी कानूनों और निर्धारित मानकों के अनुरूप मध्यप्रदेश की बाल संरक्षण नीति, के तहत परिचालन दिशा-निर्देश संबंधित विभागों द्वारा 06 माह के भीतर तैयार किये जायेंगे और इन दिशा-निर्देशों में भी आवश्यकता पड़ने पर समय-समय पर संशोधन किया जाएगा।

27. **राज्य और जिले में नोडल अधिकारी की नियुक्तिः** मध्यप्रदेश की बाल संरक्षण नीति के प्रभावी और कुशल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने तथा उसे प्रभावी नियोजन, क्रियान्वयन, निगरानी और समीक्षा के लिए अंतर्विभागीय अंतर्एजेंसी अभिसरण व समन्वय के लिए राज्य और जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे।

28. **मानव संसाधन विकास को सुगम बनाना और बाल संरक्षण और संबद्ध कार्यबल को सुदृढ़ करनाः** मध्यप्रदेश की बाल संरक्षण नीति के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी सभी कर्मियों और बाल संरक्षण के लिए उत्तरदायी सभी हितधारकों का नियमित प्रशिक्षण और संवेदीकरण किया जाएगा।

29. **आचार संहिताः** मध्यप्रदेश शासन के किसी विभाग या किसी अन्य संस्था, संवैधानिक निकाय, गैर सरकारी संगठन या एजेंसी द्वारा किसी भी व्यवस्था में कार्यरत सभी व्यक्तियों, जो स्थाई कर्मचारी या संविदा कर्मचारी या स्वयंसेवक है, और बच्चों के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संपर्क में आते हैं, बाल संरक्षण पर घोषणा (जो मध्यप्रदेश की बाल संरक्षण नीति के साथ परिचालन दिशा-निर्देश का भाग है) पर हस्ताक्षर करेंगें और इसका पालन करने के लिए सहमत होंगे।

30. **शिकायत निवारण व्यवस्थाः** सभी संगठन, संस्थाएं, वैधानिक निकाय, गैर-सरकारी संगठन बच्चों द्वारा स्वंय या उनकी ओर से किसी के द्वारा बच्चों के विरूद्ध हिंसा की शिकायतें प्राप्त करने के लिए एक आंतरिक तंत्र बनाएंगे और मध्यप्रदेश की बाल संरक्षण नीति के साथ मौजूदा कानूनों और परिचालन दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करेंगे[45]।

31. **अंतर्एजेंसी कन्वर्जेन्स पोर्टलः** बाल संरक्षण के लिए नोडल विभाग के रूप में महिला एवं बाल विकास विभाग, राज्य के विभिन्न विभागों के बीच संचार को सुगम बनाने और मध्यप्रदेश की बाल संरक्षण नीति के प्रभावी क्रियान्वयन और हितधारकों से

[45] राष्ट्रीय बाल संरक्षण नीति 2018 (प्रारूप)।

चर्चा के लिए मंच प्रदान करने के लिए एक वेब आधारित निगरानी और रिपोर्टिंग उपकरण विकसित करने और उसे लागू करने की पहल करेगा।

32. **बाल केंद्रित बजटः** मध्यप्रदेश शासन बाल संरक्षण पर बजटीय व्यय का आकलन करने के लिए विभागों और कार्यक्रमों में बजट का विश्लेषण करेगी तथा बाल संरक्षण कानूनों, योजनाओं एवं मध्यप्रदेश की बाल संरक्षण नीति के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आवंटन को बढ़ाने के लिए कदम उठायेगी।

33. **अनुसंधान और प्रभाव आकलनः** मध्यप्रदेश शासन प्रासंगिक साक्ष्य आधारित अनुसंधान और बाल संरक्षण से संबंधित प्रभाव का आकलन शुरू करेगी, साथ ही कार्य योजनाओं, योजनाओं और बजट को विकसित करते समय मध्यप्रदेश की बाल संरक्षण नीति की समीक्षा और संशोधन के समय ऐसी रिपोर्टो पर विचार करेगी।

34. **जागरूकता निर्माणः** मध्यप्रदेश शासन स्थानीय भाषा (प्रमुख जनजातीय बोलियों सहित) और अंग्रेजी में मध्यप्रदेश की बाल संरक्षण नीति से संबंधित सूचना-शिक्षा-संचार सामग्रियों का विकास करेगी और आम जनता और सभी हितधारकों के लिए बाल संरक्षण और सुरक्षा के मुद्‌दों पर बच्चों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बाल अनुकूल और सुलभ प्रारूपों में इसका व्यापक प्रसार करेगा। संचार सामग्री सभी हितधारकों की मानसिकता, पारंपरिक प्रथाओं, पूर्वाग्रहों और पहले से मौजूद धारणाओं को संबोधित करते हुए व्यवहार में परिवर्तन को प्रभावित करने का प्रयास करेगी और बच्चों की सुरक्षा के लिए कानूनी प्रावधानों को शामिल करेगी। जनसंचार के सभी माध्यमों जैसे प्रिंट, दृश्य, लोक कला, रंगमंच, नुक्कड़ नाटक, डिजिटल मीडिया आदि का उपयोग आवश्यकतानुसार, जनसामान्य और लक्षित हितधारकों तक प्रभावी ढंग से पहुंचने के लिए किया जाएगा।

4.2 एमपीसीपीपी के क्रियान्वयन पर प्रतिवेदन

35. **मध्यप्रदेश की बाल संरक्षण नीति के क्रियान्वयन पर नियमित प्रतिवेदन सुनिश्चित** करने के लिए एक प्रणाली लागू की जाएगी और इसमें स्थानीय स्तर से लेकर जिला और राज्य स्तर के प्राधिकरणों के साथ-साथ मानवाधिकार संस्थाओं, जैसे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, मप्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, तथा मप्र उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति को भी प्रतिवेदन देना होगा।

36. **मध्यप्रदेश राज्य के सभी विभागों से मध्यप्रदेश की बाल संरक्षण नीति के क्रियान्वयन के संबंध में रिपोर्ट** मध्यप्रदेश राज्य बाल संरक्षण सोसायटी को प्रस्तुत की जाएगी और एक समेकित वार्षिक रिपोर्ट मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव के कार्यालय में प्रस्तुत की जाएगी, और मुख्य सचिव के माध्यम से मध्यप्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की बाल न्याय समिति को प्रेषित की जाएगी।

4.3 मध्यप्रदेश की बाल संरक्षण नीति की समीक्षा और निगरानी

37. इस नीति के क्रियान्वयन की निगरानी जिला स्तर पर जिला कलेक्टर द्वारा और राज्य स्तर पर अध्यक्ष मध्यप्रदेश बाल संरक्षण सोसायटी[46] (एमपी एससीपीएस) द्वारा की जाएगी। इसके अतिरिक्त, एमपी एससीपीएस यह सुनिश्चत करेगी कि बाल कानूनों के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए जिम्मेदार मध्यप्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एमपी एससीपीसीआर)/राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) और मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति को सहयोग प्रदान किया जाए।

38. इस नीति को प्रासंगिक और अद्यतन बनाये रखने के लिए इसकी समीक्षा हर तीन वर्ष में या उससे पहले कानूनी व्यवस्था में बदलाव होने पर की जाएगी। इस प्रक्रिया में बच्चों पर इसके प्रभाव का आकलन, सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) व राज्य में बाल संरक्षण और उनके क्रियान्वयन के संबंध में बच्चों के जीवन को प्रभावित करने वाले सभी कानूनों, नीतियों और कार्य योजनाओं की समीक्षा शामिल होगी । इस तरह की समीक्षाओं के दौरान बाल देखरेख संस्थाओं में रहने वाले बच्चे और पश्चातवर्ती देखरेख वाले युवाओं से उनके विचार आमंत्रित किये जायेंगे। मध्यप्रदेश शासन के मुख्य सचिव प्रतिवर्ष मध्यप्रदेश की बाल संरक्षण नीति की समीक्षा करने के लिए नोडल अधिकारी होंगे। मध्यप्रदेश शासन का महिला एवं बाल विकास विभाग बच्चों को सेवाएं प्रदान करने वाले अन्य संबंधित विभागों के समन्वय से इस समीक्षा को सुगम बनाएगा।

4.4 अनुपालन

39. मध्यप्रदेश शासन मध्यप्रदेश की बाल संरक्षण नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है और इस निम्नलिखिल आधार पर किया जायेगा :-

- इस उद्देश्य के साथ मध्यप्रदेश की बाल संरक्षण नीति के क्रियान्वयन को प्रोत्साहित किया जाएगा कि एक ओर तो बाल अनुकूल शासन और दूसरी ओर सरंक्षण के अधिकार का दावा करने के लिए बच्चों का सशक्तिरण, सभी हितधारकों द्वारा आत्मसात किया जाना चाहिये।
  1. केंद्र और राज्य के सभी मौजूदा कानूनों, नियम, और सेवा शर्तो के तहत निर्धारित बाल संरक्षण पर सभी वैधानिक दायित्वों, निवारण तंत्रो और परिणामों को समझना और उनका पालन सुनिश्चत करना।

40. मध्यप्रदेश शासन और अन्य सभी संबंधित प्राधिकरण, सामाजिक संगठन, परिवार और व्यापक समुदाय, मध्यप्रदेश की बाल संरक्षण नीति की परिकल्पना को प्रभावी ढंग से साकार करने और बच्चों के लिए परिणाम प्राप्त करने के लिए सहयोगी और साझेदार के रूप में काम करेंगे। मध्यप्रदेश शासन इसे एक निर्धारित अवधि के भीतर चरणबद्ध तरीके से, प्रभावी ढंग से लागू करेगी और आवश्यकतानुसार सुधार की संभावना रखेगा।

[46] राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, अध्याय 4 के कार्य देखें - राज्य स्तरीय सेवा वितरण संरचनाएं, राज्य बाल संरक्षण सोसायटी के कार्य, खंड 1.1, पृ 18-19, समेकित बाल संरक्षण योजना, महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 2014